भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ
असाधारण, भाग III, खण्ड 4
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितंबर, 2026

फा. सं. आरजी-7/1/(1)/2023-बी एंड सीएस (1 और 3) – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 (2012 का 15) को निरस्त करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026
(2026 का 4)

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**– (1) इन विनियमों को "सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026" कहा जाएगा।
(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **निरसन और बचत** - (1) इन विनियमों के लागू होने पर, सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 (2012 का 15) एवं उनके अधीन जारी सभी आदेशों और निर्देशों को निरस्त माना जाएगा।

(2) सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविज़न चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 (2012 का 15) का निरसन उक्त विनियमों के पूर्व संचालन और उसके तहत जारी किए गए किसी भी निर्देश या आदेश या वैधता, प्रभाव या पहले से की गई किसी भी कार्यवाही या की गई कार्रवाई, या किए जाने या किए जाने के लिए कथित, या किए जाने के लिए छोड़े गए या उसके तहत परिणाम के भुगतने को प्रभावित नहीं करेगा।

(**अशोक कुमार झा**)
सचिव (प्रभारी), **भादूविप्रा**

टिप्पणी: व्याख्यात्मक ज्ञापन "सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026" के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. पृष्ठभूमि

1.1 14 मई, 2012 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 36 के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) तथा भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 (2012 का 15) अधिसूचित किया गया था। सेवा की गुणवत्ता के उपाय के रूप में इन विनियमों में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया गया था कि कोई भी प्रसारक एक क्लॉक आवर में बारह मिनट से अधिक विज्ञापन प्रसारित नहीं करेगा, ताकि विज्ञापन की अवधि की प्रभावी निगरानी की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसारक केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (11) का अनुपालन करें। इसके अतिरिक्त, खेल-स्पर्धा के सीधे प्रसारण के दौरान विज्ञापनों के प्रसारण, विज्ञापन सत्रों के बीच न्यूनतम समय अंतराल, आंशिक-स्क्रीन और ड्राप-डाउन विज्ञापनों पर निषेध तथा कार्यक्रमों और विज्ञापनों के ऑडियो स्तर में समता संबंधी शर्तें निहित की गई थीं।

1.2 उक्त विनियमों को कुछ प्रसारकों द्वारा माननीय दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) में चुनौती दी गई थी। टीडीसैट में प्रसारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने उक्त विनियमों का पुनर्विलोकन करने का निर्णय लिया। उचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् उक्त विनियमों को सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (संशोधन) विनियम, 2013 (2013 का 3) द्वारा, जो 22 मार्च, 2013 को अधिसूचित हुए, संशोधित किया गया जिसके द्वारा विनियम 3 के अधीन एक क्लॉक आवर में विज्ञापनों की बारह मिनट की अधिकतम सीमा को बनाए रखते हुए, विनियम 4 के अधीन उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने या विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं को आदेश या निदेश जारी करने का अधिकार प्राधिकरण को दिया गया; तथा विनियम 5 के अधीन प्रसारकों के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकता भी तय की गई।

1.3 कुछ प्रसारकों ने विनियमों के प्रावधानों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) सं. 7989/2013, शीर्षक मैसर्स न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम भादूविप्रा तथा अन्य संबंधित मामलों में चुनौती दी थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 29.05.2026 के निर्णय यथासंशोधित 03.07.2026 में, रिट याचिकाओं के इस समूह को खारिज कर दिया और यह निर्णय किया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का नियम 7(11) तथा विज्ञापन-अवधि विनियमों का विनियम 3 विनियामक शक्ति का संवैधानिक रूप से वैध इस्तेमाल है, जो प्रसारकों के अधिकारों और प्रसारण स्पेक्ट्रम के कुशल तथा निष्पक्ष उपयोग में लोकहित के बीच आनुपातिक संतुलन स्थापित करते हैं।

2. केंद्र सरकार का निर्णय और निरसन का औचित्य

2.1 सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 14.08.2026 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सीटीएन नियम, 1994 के तहत टेलीविज़न चैनलों के लिए तय 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने के सरकार के निर्णय की घोषणा की। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह सीमा 2006 में लागू की गई थी, जब केवल 62 टेलीविज़न चैनल थे और उस समय मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफ़ॉर्म एनालॉग मोड में केबल टीवी था, जिसकी क्षमता सीमित थी और जो उपभोक्ताओं को बहुत कम विकल्प देता था। तब से डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से डिजिटल हो गया है; अब डीटीएच, केबल टीवी, हिट्स और आईपीटीवी प्लेटफ़ॉर्म मिलकर 300 से 500 या उससे ज़्यादा चैनल वहन करते हैं, जिससे बाज़ार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प मौजूद हैं। टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलावों को देखते हुए, मंत्रालय ने विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की ज़रूरत महसूस की। यह क्षेत्र विज्ञापन पर बहुत ज़्यादा

निर्भर है, चाहे 'पे' चैनल हो या 'फ्री-टू-एयर'। इसके अलावा, पारंपरिक टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया के बीच समान अवसर नहीं थे, क्योंकि डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन की सीमा से जुड़ा कोई नियम नहीं है। मंत्रालय का मानना था कि बाज़ार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है, इसलिए टेलीविज़न प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन की अवधि की सीमा को हटाने का निर्णय लिया गया।

2.2 उक्त नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप, एमआईबी ने 21.08.2026 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसके द्वारा सीटीएन नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (11) को हटा दिया गया है।

2.3 चूंकि भादूविप्रा के 2012 के विनियम और उनका 2013 का संशोधन सीटीएन नियम, 1994 के प्रावधानों की प्रभावी निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं की सेवा की गुणवत्ता और उनके देखने के अनुभव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा सीलिंग हटाए जाने के बाद भी इन नियमों के तहत एक समानांतर सीमा और उससे जुड़ी तिमाही रिपोर्टिंग की ज़रूरत को बनाए रखना उसी पाबंदी को जारी रखने जैसा होगा जिसे सरकार ने हटाने का निश्चय किया है। अतः सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 तथा इसके तहत जारी सभी आदेश और निर्देश, सीटीएन नियम, 1994 से असंगत प्रतीत होते हैं। भादूविप्रा अपने अधिदेश क्षेत्र के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण और सेवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन की सीमाओं पर दोबारा विचार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अतः, **केंद्र सरकार के निर्णय के साथ संगति बनाए रखने तथा केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(11) को हटाने को ध्यान में रखते हुए जिसमें विज्ञापनों की अवधि की सीमा तय की गई थी, प्राधिकरण ने सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 (2012 का 15) और इसके तहत जारी सभी आदेशों और निर्देशों को निरस्त करने का निर्णय किया है।**

अस्वीकरण: यह सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026 का हिन्दी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026 मान्य होगा।